

सेवामे,

श्रीमान,  
जन सूचना अधिकारी,  
भर्ती प्रकोष्ठ, किंग्स वे कैंप,  
नयी दिल्ली।

2039/RTI/SW  
DT - 21/7/17

विषय: - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी को वर्तमान मे चल रही दिल्ली पुलिस भर्ती प्रक्रिया के बारे मे निम्न लिखित सूचना प्रदान करें: -

1. दिल्ली पुलिस मे चल रही भर्ती प्रक्रिया मे चेस्ट मे अयोग्य अभ्यर्थी (Disqualified candidate) अपील कर सकता है या नहीं। कृपया विस्तृत जानकारी दे।
2. यदि प्रश्न संख्या 1 का जवाब हाँ है तो दिनांक 10.07.2017 को Jhunjhunu Board के बैच न 04 के अभ्यर्थी चेस्ट न 492 को अपील क्यू नहीं करने दी गयी? कृपया विस्तृत जानकारी दे।
3. यदि किसी अभ्यर्थी को अपील नहीं करने दी जाती है तो दौषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही बनती है? सम्पूर्ण नीति नियम बतलाए जाये।
4. यदि किसी अभ्यर्थी को चेस्ट बोर्ड पर मौजूद अधिकारी द्वारा अपील नहीं करने दी जाती है तो क्या वह अभ्यर्थी किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिल सकता है या नहीं?
5. उपरोक्त प्रश्न का जवाब यदि हाँ है तो किस रैंक के अधिकारी से अपील कि जाती है?
6. दिनांक 10.07.2017 को Jhunjhunu बोर्ड के बैच न 4, चेस्ट न 492 के अभ्यर्थी को अपील हेतु किसी वरिष्ठ अधिकारी से क्यो नहीं मिलने दिया गया? कारण सहित बतलाया जाये।
7. उपरोक्त प्रश्न न 6 के संदर्भ मे दिनांक 10.07.2017 कि विडियो रिकॉर्डिंग चेक कर वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है। आवेदक को सूचना दी जावे कि उसे अपील क्यो नहीं करने दी गयी?

D-IV

21/7/17